

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA  
परमाणु ऊर्जा विभाग DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY  
नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र NUCLEAR FUEL COMPLEX  
प्रशासन ADMINISTRATION

सं. Ref: NFC/DCE(A&A)/109/2020/29

मार्च March 19, 2020

**परिपत्र CIRCULAR**

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (सीएचसी एवं सीएचएसएस) द्वारा जारी दिनांक 18.03.2020 के परिपत्र संख्या-NFC/MED/CMS/401/2020 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें सीएचएसएस के लाभार्थियों को यह सलाह दी गई थी कि नियमित/तात्कालिक दवाइयों के लिए संजीवनी/व्यावसायिक स्वास्थ्य केंद्र में न जाएं।

This has reference to the Circular No. NFC/MED/CMS/401/2020 dated 18.03.2020 issued by Chief Medical Superintendent (CHC & CHSS) advising CHSS beneficiaries to avoid visiting Sanjeevini/OHC for regular / urgent medication.

2. इसे एतद्वारा स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त परिपत्र मात्र ऐसे कर्मचारियों/सेवानिवृत्त सीएचएसएस लाभार्थियों या उनके परिवार के सदस्यों के लिए है जो बहुधा अंतराल पर नियमित दवाइयां लेते हैं। यह कालोनी स्वास्थ्य केंद्र / व्यावसायिक स्वास्थ्य केंद्र में भीड़ को इकट्ठा होने से बचाने हेतु किया गया है ताकि नॉवल कोरोना वाइरस (कोविड-19) को फैलने से रोका जा सके, जोकि मुख्यतः कर्मचारियों/सेवानिवृत्त सीएचएसएस लाभार्थियों या उनके परिवार के आश्रित सदस्यों के कल्याण के लिए था।

It is hereby clarified that the above circular is meant only for such employees/retired CHSS beneficiaries or their family members who are collecting regular medicines at frequent intervals so as to avoid the crowd in Colony Health Centre/OHC in order to prevent the spread of Novel Corona Virus (COVID-19), which was mainly in the welfare of employees/retired CHSS beneficiaries or their dependent family members.

3. यदि किसी कर्मचारी या उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को कोई वास्तविक चिकित्सा समस्या है तो वे व्यावसायिक स्वास्थ्य केंद्र / कालोनी स्वास्थ्य केंद्र में जाने के लिए स्वतंत्र हैं और उनके वहाँ जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

If any employee or their dependent family members are having any genuine medical problems, they are free to visit OHC/CHC and there is no restriction on their visit.

4. सभी कर्मचारियों / सीएचएसएस लाभार्थियों से अनुरोध किया जाता है कि उपर्युक्त स्पष्टीकरण को नोट करें और इस मामले में अपना पूर्ण सहयोग दें।

All employees/CHSS beneficiaries are requested to note the above clarification and extend full cooperation in the matter.

एन. विजयराघवन 19.3.2020

(एन. विजयराघवन N. Vijayaragavan)

उप मुख्य कार्यपालक (प्रशा. व लेखा) DCE(A&A)

**सभी संयंत्र/अनुभाग All Plants/Sections**

प्रति cc : मुख्य कार्यपालक ,CE, NFC - सादर सूचनार्थ For kind information

: अध्यक्ष, एनएफसी आईडब्ल्यू President, NFC IWU